

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

देवीलाल विपक्षी सवलता
 मुकदमा वाह पत्रावली संख्या ०६/२ सन्

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>16/1/25 बकुलाय वादी/ प्रतिवादी उप. जवाब प्रतिवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः एन अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 4/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO मावली</p>	
	<p>4/3/25 बकुलाय वादी/ प्रतिवादी उप. जवाब प्रतिवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः कतिपय अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13/5/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">SDO मावली</p>	
	<p>13/5/25 बकुलाय वादी/ प्रतिवादी उप. जवाब प्रतिवादी के लिये मौका चाहते हैं। अतः अतिरिक्त कोर्ट पर अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 15/7/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(SDO) मावली</p>	
	<p>15/7/25 पत्रावली पेश हुई। अति अग्रिम ३५. प्रतिवादी संख्या १,३ को पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी अधिवक्ता मध्य प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी संख्या १,३ के जवाब को अग्रसर को बंद किया जाता है। स.न. २ के अग्रिम बा ६ तारीख प्राप्त पत्रावली में संलग्न है। विवरण आगे दिलावा है। अनुपस्थित रहे। अतः अनुपस्थित रहे पर इसके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अग्रसर में लाई जाती है। पत्रावली वास्तव साध्य वादी दिनांक 8/8/25 को पेश हो।</p>	



08/08/25

बकुलाय वादी/प्रतिवादी उप-साक्ष्यपत्रावली
के लिये मौका चाहते हैं। अतः एक
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 20/08/25
को पेश हो।

(SDO) मावली

20/08/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय
वादी अनुपस्थित। अधिवक्ता वादी मय स्वयं
वादी को बार-बार आवाजे दिलवाई गई।
समय सायं 5:00 PM हो चुके हैं। वादी स्वयं
एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित
हैं। अतः अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी
अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम
हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली फंसल शुमार लेकर नम्बर
से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(SDO) मावली